जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 12.07.2024**

थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 04/05.07.2024 को श्री अनुज राणा पुत्र श्री तेजपाल सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर थाना बाबरी जनपद शामली व श्री प्रमोद पुत्र विक्रम निवासी मौहल्ला जवाहर नगर कस्बा बनत थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली की ग्राम जलालपुर स्थित टयूबवैल/नलकूप से अज्ञात चोर द्वारा स्टार्टर व केबिल चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना आदर्श मण्डी पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी थी। तहरीर के आधार पर थाना आदर्श मण्डी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 12.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा 01 चोर को टयूबवैल/नलकूप से चोरी किये गये सामान (01 स्टार्टर व केबिल) सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्श मण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.रोहित पुत्र राजेश निवासी ग्राम सिक्का थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किया हुआ सामान (01 स्टार्टर व 25 मीटर केबिल)।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियो के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में शामली पुलिस द्वारा अवैध हथियार के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते 01 अपराधी को मा0 न्यायालय सीजे(जे.डी)जेएम कैराना द्वारा सुनाई गयी सजा एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

अवगत कराना है कि मु0अ0सं0 299/2000 धारा 25 आयुध अधिनियम में अभियुक्त रणधीर पुत्र महावीर निवासी ग्राम गोगवान जलालपुर थाना बाबरी जनपद शामली के विरूद्व थाना थानाभवन पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 12.07.2024 को माननीय न्यायालय सीजे(जे.डी)जेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 25 आयुध अधिनियम में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.रणधीर पुत्र महावीर निवासी ग्राम गोगवान जलालपुर थाना बाबरी जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI